



**HQRS. OFFICE  
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION  
PANCHDEEP BHAWAN: CIG MARG: NEW DELHI – 2  
(ISO 9001: 2008 Certified)**

File No.Z-12/14/Circular/09-RTI -2876

Dated: 11.08.2011

To

PS to DG/FC/MC/IC/Commissioner (P&A), Rectt. & NTA;  
Regional Directors/Directors/Jt. Dir. I/Cs of Regional/Sub-Regional & Divisional Offices;  
All Medical Superintendents of ESI / ESI Model Hospitals;  
Directorate (Medical) Delhi & Noida;  
Joint Director (E-V) Hqrs. Office;  
All Branches / Officers of Hqrs. Office.

**Subject:- Appointment of Transparency Officer in ESI Corporation under RTI Act, 2005.**

Sir/Madam,

I am directed to convey that the Director General has designated Sh. Jose Cherian, Insurance Commissioner (NTA) as Transparency Officer under RTI Act, 2005.

Yours faithfully,

(H. C. SHARMA)  
DIRECTOR / CPIO

Copy to:

1. Jt. Director (System), Hqrs. to please insert the name of Sh. Jose Charian, Transparency Officer, NRPO Building, EPFO Complex, Sector-23, Dwarka, New Delhi –110077 in the RTI portal of ESIC website.

  
DIRECTOR / CPIO



मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
आई.एस.ओ. द्वारा प्रमाणित  
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली।

पार्ट फा. जैड-12/14/सर्कुलर/2009-सू.का अधि.

दिनांक 11.08.2011

सेवा में,

निजी सचिव महानिदेशक, वित्त आयुक्त,  
चिकित्सा आयुक्त, बीमा आयुक्त,  
आयुक्त (कामिर्क एवं प्रशासन), भर्ती, एन.टी.ए.;  
सभी क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/संयुक्त निदेशक (प्रभारी),  
क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय/प्रभागीय कार्यालय ;  
सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.अस्पताल/मॉडल अस्पताल ;  
निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली एवं नोएडा ;  
संयुक्त निदेशक (स्था.5), मुख्यालय ;  
मुख्यालय की सभी शाखाएँ/अधिकारी

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन क.रा.बी. निगम में पारदर्शिता अधिकारी पदनामित करना।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने के निर्देश हुए हैं कि महानिदेशक महोदय ने श्री जोस चेरियन, बीमा आयुक्त (एन.टी.ए.) को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन पारदर्शिता अधिकारी पदनामित किया है।

भवदीय

(एच.सी. शर्मा)

के.लो.सू.अधि.